

प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सुरक्षित करने की कोशिश

यह एडिटरियल 24/02/2023 को 'हद्वि बिज़नेस लाइन' में प्रकाशित "Protecting platform workers" लेख पर आधारित है। इसमें [प्लेटफॉर्म वर्कर्स से संबंधित मुद्दों और इनके समाधान](#) के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

- तकनीकी नवाचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण कार्य की दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गिग वर्कर्स का उदय भी इसी से संबंधित एक परिघटना है। वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल के 2.35 करोड़ कर्मचारियों तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **भारत की G-20 अध्यक्षता** लाभ की सुवाह्यता (जो एक नियोक्ता के बजाय एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बिना किसी रुकावट के एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक ले जाए जा सकते हैं) पर अधिक अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान करेगी, इस प्रकार सीमा पार किये जाते प्लेटफॉर्म वर्कर के लिये कर्मियों के हित की रक्षा करेगी।
- इस प्रकार, भारत की G-20 अध्यक्षता द्वारा 'गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' और सामाजिक सुरक्षा' को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्नित करने का निर्णय उपयुक्त है। निर्विवाद रूप से, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रोजगार के नए अवसर भी सृजित करती है। हालाँकि, श्रम बाजारों पर इसके संभावित विघटनकारी प्रभाव (disruptive effects) भी पड़ सकते हैं।

नोट:

- मोटे तौर पर, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी दो बिज़नेस मॉडलों- 'क्राउडवर्क' (Crowdwork) और 'वर्क-ऑन-डिमैंड वाया ऐप्स' (Work-on-demand via apps) के माध्यम से संचालित होती है।
 - क्राउडवर्कर्स उन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन कार्य करते हैं जो सीमाओं के पार बड़ी संख्या में ग्राहकों, संगठनों और व्यवसायों को जोड़ते हैं।
 - दूसरी ओर, 'वर्क-ऑन-डिमैंड वाया ऐप्स' का तात्पर्य स्थान-आधारित और भौगोलिक दृष्टि से सीमित कार्य से है, जसि प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम बनाया जाता है।

प्लेटफॉर्म वर्कर्स के समक्ष वदियमान प्रमुख समस्याएँ

- **कर्मियों के रूप में वर्गीकरण:**
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों के समक्ष वदियमान प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि उन्हें प्रायः कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र संविदाकारों (contractors) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे कुछ लाभों के हकदार नहीं हो पाते, जैसे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और श्रमिक मुआवजा।
- **अभिम्यता संबंधी समस्याएँ:**
 - भले ही गिग इकोनॉमी उन सभी के लिये सुलभ है जो इस तरह के रोजगार में संलग्न होने के इच्छुक हैं साथ ही, इसके ज़रिए रोजगार के व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं फिर भी इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक तक पहुँच एक प्रतबंधक कारक हो सकती है।
 - इसने गिग इकोनॉमी को काफी हद तक एक शहरी परिघटना बना दिया है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम:**
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रोजगार में संलग्न करमी, विशेष रूप से ऐप-आधारित टैक्सी एवं डिलीवरी क्षेत्रों से संलग्न महिला करमी, विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं।
- **कम वेतन:**
 - भारत में कई प्लेटफॉर्म करमी कम वेतन अर्जति करते हैं, प्रायः न्यूनतम वेतन से भी कम। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों मूल्य पर प्रतिस्पर्द्धा करती हैं और कम वेतन पर भी नौकरी करने को तैयार कर्मियों का एक बड़ा समूह मौजूद है।
- **सुदीर्घ कार्य-घंटे:**
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों को प्रायः अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये पर्याप्त धन अर्जति करने के लिये लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। इससे उनमें शारीरिक-मानसिक-भावनात्मक थकान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:**
 - प्लेटफॉर्म करमी पेंशन या बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार नहीं होते। यह उन्हें दुर्घटना या बीमारी के मामले में जोखिमपूर्ण

स्थिति में डालता है।

■ **सौदेबाजी शक्ति का अभाव:**

- प्लेटफॉर्म कर्मि आमतौर पर अकेले कार्य करते हैं और उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है जो एक संघ या सामूहिक सौदेबाजी समझौते का अंग होने पर प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि वे बेहतर वेतन या कार्य स्थिति के लिये बातचीत कर सकने में सक्षम नहीं हो पाते।

■ **भेदभाव:**

- कुछ प्लेटफॉर्म कंपनियों पर कर्मियों के कुछ समूहों, जैसे महिलाओं या नचिली जातियों के कर्मियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है।
 - दलित गगि वर्कर, जो सबसे नचिली जाति से ताललुक रखते हैं, सीमति कार्य अवसरों, कम वेतन और सामाजिक बहिष्करण के रूप में भेदभाव का सामना करते हैं।
 - कुछ ग्राहकों द्वारा मुसलमि डलिवरी बॉय से सेवा लेने मना करने या उनका अपना धर्म जानने के बाद अपने ऑर्डर रद्द कर देने जैसे मामले भी प्रकाश में आए हैं।

■ **वनियमन का अभाव:**

- भारत में वर्तमान में प्लेटफॉर्म वर्कर के लिये कोई नयामक ढाँचा मौजूद नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों शर्म कानूनों या मानकों का अनुपालन कयि बनिा भी कार्य कर सकती हैं।

प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है?

■ **एक नई वधिकि श्रेणी का नरिमाण करना:**

- कर्मियों और स्वतंत्र संवदिकारों के बीच के ग्रे क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिये 'स्वतंत्र कर्मि' (independent workers) नामक एक नई वधिकि श्रेणी बनाई जा सकती है। इस पर उपयुक्त सत्कर्ता से वचिार कयिा जा सकता है।
- कुछ मामलों में, स्वतंत्र कर्मि स्वतंत्र व्यवसायों की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें यह चुनने की स्वतंत्रता होती है कि वे कब और कहाँ कार्य करेंगे; साथ ही उनके पास कई मध्यस्थों के साथ कार्य करने का विकल्प भी होता है।
- हालाँकि, कुछ मामलों में वे पारंपरिक कर्मियों के समान भी हैं, क्योंकि मध्यस्थ स्वतंत्र कर्मियों पर कुछ तरीकों से नियंत्रण भी रखता है, जैसे कि उनकी फीस या फीस कैप नरिधारित करने के रूप में।

■ **सामाजिक सुरक्षा कवरेज का वसितार:**

- गगि इकोनॉमी प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिये कयिा जा सकता है।
- गगि इकोनॉमी पर अधिकांश लेन-देन इंटरनेट के माध्यम से कयिा जाता है और इस प्रकार इसे ट्रैक कयिा जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये, इंडोनेशिया ने देश में आमतौर पर मोटरसाइकलि टैक्सी सवारी के लिये उपयोग कयिा जाने वाले डजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिये एक डजिटल तंत्र पेश कयिा है।
 - ऐप्लीकेशन का उपयोग करते समय चालक और यात्री दोनों के दुर्घटना बीमा (उस यात्रा के दौरान) के लिये टरफि की एक छोटी सी राशि स्वचालित रूप से काट ली जाती है।

■ **सामूहिक सौदेबाजी:**

- प्लेटफॉर्म कर्मियों को बेहतर वेतन, लाभ और कार्य करने की स्थिति पर समझौता वार्ता करने के लिये प्लेटफॉर्म के मालिकों के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिये। सामूहिक सौदेबाजी प्लेटफॉर्म कर्मियों को समझौता वार्ताओं में अधिक लाभ उठाने में मदद कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।

■ **लाभों तक पहुँच:**

- प्लेटफॉर्म कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा, वैनिकि अस्वस्थता अवकाश और सेवानिवृत्त योजनाओं जैसे लाभों तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिये। सरकारी नयिमाँ और नजिी क्षेत्र की पहल के संयोजन के माध्यम से इसे साकार कयिा जा सकता है।

■ **उचति वेतन:**

- प्लेटफॉर्म कर्मियों को उनके कार्य के लिये उपयुक्त वेतन दिया जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के लिये अपनी भुगतान संरचना का खुलासा करना आवश्यक बनाया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे पारदर्शी एवं नषिपक्ष हैं।

■ **भेदभाव के वरिद्ध सुरक्षा:**

- प्लेटफॉर्म कर्मियों को लजि, जाति, नसल, धर्म, यौन उन्मुखता या नःशकतता के आधार पर भेदभाव के वरिद्ध संरक्षित कयिा जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के पास भेदभाव को रोकने के लिये नीतियाँ होनी चाहिये और कर्मियों को भेदभाव की घटनाओं की रपिर्ट करने के लिये एक तंत्र प्रदान कयिा जाना चाहिये।

■ **संगठित होने का अधिकार:**

- प्लेटफॉर्म कर्मियों के पास अपने हतियों की रक्षा के लिये संगठित होने और संघ बनाने का अधिकार होना चाहिये। इससे उन्हें बेहतर वेतन, लाभ और काम स्थिति पर समझौता वार्ता करने में भी मदद मिल सकती है।

■ **वनियमन और प्रवर्तन:**

- सरकारी को प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को वनियमति करना चाहिये और प्लेटफॉर्म कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिये शर्म कानूनों को लागू करना चाहिये। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिये प्लेटफॉर्म की नगिरानी करना भी शामिल हो सकता है कि वे शर्म कानूनों का पालन कर रहे हैं और उल्लंघन के लिये उन पर अर्थदंड लगाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की उभरती हुई गगि इकोनॉमी में गगि वर्कर्स के लिये कौन-से चुनौतियाँ एवं अवसर मौजूद हैं? उनके साथ उचति उपचार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कनि नीतगित परविरतनों की आवश्यकता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में 'गगि इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये । (वर्ष 2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/06-03-2023/print>

